ब्राजील
कनाडा
चिल्ली
चीन
कोलम्बिया
कोस्टारिका
क्रोशिया
क्रेज
डेनमार्क
ईथोपिया
फिनलैंड
फ्रांस
जर्मनी
गुयाना विसाव
हंगरी
ईरान
आयरलैंड
इटली
जमाईका
जापान
जोर्डन
किनिया
लिथोरिया
मालवी
मलेशिया
माल्टा
मारीशस
म्यांमार (वर्मा)
नीदरलैंड
न्यूजीलैंड
नाईजीरिया
नोर्वे
पेरू
फिलीपीन्स
पोलैंड
पुर्तगाल
रोमानिया
रूस
रवान्दा
सिंगापुर
सल्लोवेनिया
स्पेन
श्रीलंका
स्वीड्न
स्विटजरलैंड
तनजानिया
थाईलैंड
त्रिनिडाड और टोबेगो
यू०एस०ए०
यूनाइटेड किंग्डम
यूगोस्लाविया
जाम्बिया

गुजरात की घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टिप्पणियां

220. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि गुजरात की घटनाओं से बचा जा सकता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रिपोर्ट में कुछ संगठनों/संस्थानों को दोषी ठहराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में आयोग की अन्य सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) गुजरात की घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त रिपोर्टों को गुजरात राज्य से संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाई करने हेतु गुजरात सरकार को भेज दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अंतर्गत, राज्य सरकार को धारा 9(1)(ग) के तहत की गई सिफारिशों को, की गई कार्रवाई के ज्ञापन समेत राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त रिपोर्टों में केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों की जांच की जा रही हैं। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9(2) के तहत केन्द्र सरकार को धारा 9(1)(ग) के अधीन की गई सिफारिशों को, की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। की गई कार्रवाई के ज्ञापन समेत इन रिपोर्टों को यथा समय संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।